

BCC:ISD:112:16:203

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street,

Mumbai - 400 001 BSE CODE: 532134 The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051

NSE CODE: BANKBARODA

Date: 08th July 2020

Dear Sir/ Madam,

Re: Bank of Baroda -24th Annual General Meeting (AGM) & Book Closure

We advise that, it has been decided to convene 24^{th} Annual General Meeting of the shareholders of our Bank as per details given below:

| 1 | Date/ Time | Friday, 31st July 2020 at 10.00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) |
|--|---------------------|---|
| 2 | Agenda/ | ORDINARY BUSINESS: |
| | Business | To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2020, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts. SPECIAL BUSINESS: To approve Equity Capital Plan of Bank for FY2020-21 by Special Resolution. |
| 3 Book Closure From 24 th July 2020 to 31 st July 2020 (both days inclusive) | | |
| | | |
| 4 | Cut-off date | 23 rd July 2020 - For remote E-Voting and to participate in AGM through VC |
| 5 | Remote E- Voting | From 9.00 a.m. on 28 th July 2020 to 5.00 p.m. 30 th July 2020. |

We also annex a copy of 24th AGM Notice.

We request you to take notice under Regulation 42 and other applicable provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the information on your website.

Yours faithfully,

P K Agarwat Company Secretary



Notice for 24th Annual General Meeting

Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)



नोटिस 2019-20 / **Notice 2019-20**

बैंक ऑफ़ बडौदा

प्रधान कार्यालयः अलकापूरी, बड़ौदा - 390 007

कॉर्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

(वेबसाइट: www.bankofbaroda.co.in)

Bank of Baroda

Head Office: Alkapuri, Baroda - 390 007

Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051

(Website: www.bankofbaroda.co.in)

नोटिस

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो वीजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से शूक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2020 को प्रातः 10.00 बजे किया जाएगा:

सामान्य कार्यवाही:

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2020 के तूलनपत्र, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे. लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तूलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना.

विशेष कार्यवाही:

मद संख्या 2: पूंजी-अर्जन योजना 2020-21

निम्नलिखित संकल्प पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर उसे पारित करना.

"संकल्प पारित किया जाता है कि जहां भी आवश्यक हो, शेयरधारकों के अनुमोदन सहित सांविधिक/विनियामक अनुमोदन के अध्यधीन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम),राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (**"सेबी"**) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्रोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन 2018 (आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियनम 2015 यथा संशोधित, विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभृति जारी या अंतरण) विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं /परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकारियों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Friday, 31st July, 2020 at 10.00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2020, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS:

Item Number 2: Capital Raising Plan 2020-21

To consider and if thought fit to pass the following resolution as a Special Resolution.

"RESOLVED THAT subject to Statutory/Regulatory approvals including Shareholders' approval wherever required as per applicable laws/regulations, authority be and is hereby given pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India), Regulation, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities



बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात इसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा रु. 9,000/-करोड़ (रु. नौ हजार करोड़) की अतिरिक्त पूंजी को ऐसी संख्या में, रू. 2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर के एक अथवा अधिक बार में सुजन, ऑफ़र, जारी और आबंटित कर (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमति प्राप्त वैसे श्रेणी के व्यक्तियों और इश्यू के वैसे भाग को प्रतिस्पर्धी आधार पर और किसी फर्म को आबंटन के आरक्षण के प्रावधान सहित) प्राप्त करने के लिए अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ)/कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस)/अधिकार निर्गम/एडीआर-जीडीआर/इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी विविध प्रणालियों और अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से बाजार मूल्य के प्रीमियम/रियायत जो वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बैंक के रु. 3000/- करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है और इस प्रकार जारी किए जाएं कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की इक्विटी पूंजी के 52% से कम न हो."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आवंटन अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी स्थानन निर्गम के या किसी अन्य तरीके से जो उपयुक्त कानूनों द्वारा प्रदत्त हो, के जिरए किया जाएगा. अति—आबंटन विकल्प और ऐसे किसी ऑफर के साथ या उसके बिना प्रतिभूतियों का निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तातंरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं), अधिनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुरूप और सेबी, आरबीआई तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसा भी उपयुक्त समझा जाए द्वारा जारी दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर किया जाए जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्रिटी शेयर उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे, जहाँ बैंक के वर्तमान इक्रिटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो आईसीडीआर अधिनियमों में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, इस तरह से और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों के साथ विचार–विमर्श से और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर अधिनियमों, अन्य अधिनियमों और किसी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों और/या, चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक में वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं."

from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) /prospectus or such other document (s), in India or abroad such number of equity shares of face value of Rs.2/- each of the Bank including premium aggregating up to Rs. 9,000/- crore (Rupees Nine Thousand crore) by way of various modes such as Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR -GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these at such premium/discount to the market price which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank of Rs.3000 crore, being the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the total paid-up Equity capital of the Bank.

"RESOLVED FURTHER THAT, such issue, offer or allotment of Securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

3

आगे यह संकल्प पारित किया गया कि आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VI के मृताबिक अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में-

- क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत आने वाले अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार की प्रतिभूतियों का पूरी तरीके से भुगतान होगा और ऐसे प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के दिन से 365 दिनों के भीतर या ऐसे किसी समय में पूरा हो जाएगा, जिसकी आईसीडीआर अधिनियमों में समय-समय पर अनुमति दी गई है.
- ख) बैंक आईसीडीआर अधिनियमों के अधिनियम 176(1) के प्रावधानों का अनुसरण करेगा जिसमें न्यूनतम कीमत पर पांच प्रतिशत तक के बट्टे पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है.
- ग) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की संबंधित तारीख आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शिक्त होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सहमित, अनुमित और स्वीकृति प्रदान करते/देते समय अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमित दी जाए."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रतिभूतियां एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को जारी और आबंटित की जा रही हैं तो वह विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जैसा कि लागू होता है, परंतु अधिनियम और अन्य विनियामकों के तहत स्थापित उपर्युक्त समग्र सीमाओं के भीतर, जैसा भी लागू है, के अधीन होगी."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा (शेयर व बैठक) अधिनियम, 1998 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरुप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो, और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(रों), डिपोजिटरी(यों), कानूनी सलाहकार(रों) और ऐसी सभी एजेंसियों, जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफर करने और ऐसे सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने, और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधों, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबद्ध हो या उसमें शामिल हो के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटरों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मों), जिसमें ग्राहकों की वो श्रेणी भी शामिल हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया, प्रत्येक अंश में उनकी आबंटित संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूति के जारी/संपरिवर्तन, वारंट/शोधन के प्रयोग पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर,

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutions placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.
- b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable"

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations,1998 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies)), Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount

2019-2020



शोधन अविध, इक्किटी शेयरों/अधिमानी शेयरों की संख्या या संपरिवर्तन करने पर अन्य प्रतिभूतियाँ या प्रतिभूतियों के शोधन या रद्द करना, कीमत, प्रतिभूतियों को निर्गम/संपरिवर्तन करने पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अविध, रिकॉर्ड तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत तथा/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे "

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त शेयरों का, जो कि अभिदत्त नहीं हैं, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से उस प्रकार से निपटान किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रुप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मित अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रुप से उसको अपना अनुमोदन दे दिया है."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड की पूंजी प्राप्ति समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित करें."

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वार्ट न्युर्ह्म संजीव चड्डा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः मुंबई

दिनांक: 23 जून 2020

नोटः

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("इ-एजीएम") के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक

कोविड 19 महामारी के प्रकोप के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन की स्थित और सामाजिक दूरी के अलावा आवाजाही पर प्रतिबंधों के मद्देनजर, एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र सं 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के माध्यम से सूचित किया है कि कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए कंपनियों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपने एजीएम के आयोजन की अनुमति है. एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप ही सेबी ने भी सूचीद्ध कंपनियों को अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के माध्यम से रियायतें दी हैं.

on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/ conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Capital Raising Committee of the Board/Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

FOR BANK OF BARODA

far-

Sanjiv Chadha Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 23rd June 2020

NOTES:

ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING ("e-AGM")

In view of the prevailing lock down situation across the country due to outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions on the movements apart from social distancing, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular Nos. Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, companies are permitted to hold their AGM through VC/OAVM for the calendar year 2020. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020.



 उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से किया जा रहा है यहां इसके बाद इसे "ई-एजीएम" कहा जाएगा. 24वें एजीएम के आयोजन का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय समझा जाए.

2. प्रॉक्सी और अधिकृत प्रतिनिधि / प्रतिनिधियों की नियुक्ति:

उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, इस ई-एजीएम बैठक में उपस्थित रहने तथा शेयरधारकों के लिए वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा शेयरधारकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी.

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी / इकाई के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने सबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक, जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर इसे raju.sv@kfintech.com; / companysecretary. bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 24 जुलाई 2020 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है.

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 2 पर बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

ई-एजीएम प्रतिभागिता

बैंक ने केफिन टक्नॉलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (KFin Technologies Private Limited), रिजस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स को वार्षिक सामान्य बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु तथा ई-एजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स के लिए नियुक्त किया है.

वीसी/ ओएवीएम (ई-एजीएम) एजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के संबंध में:

- ए) सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें प्रदान की गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जिए बैठक में भाग ले सकते हैं. बैठक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है.
- बी) सदस्य की ओर से उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति सुविधा उपलब्ध नहीं है.
- सी) निकाय कॉर्पोरट्स वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ई-एजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र हैं.
 - सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले ई-एजीएम में शामिल हो सकते हैं. ई-एजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक सदस्य भाग ले सकते हैं
 - बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के

 In compliance with the above provisions, Annual General Meeting of the Bank being conducted through Video Conferencing (VC) herein after called as "e-AGM". The deemed venue for the 24th AGM shall be the Head Office of the Bank.

Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):

Pursuant to the aforesaid Circulars the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the shareholders is not available for this e-AGM.

However, No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to raju.sv@kfintech.com; / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 4.00 p.m. on 24th July 2020.

3. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting at item no. 2 is annexed hereto.

4. e-AGM Participation

The Bank has appointed KFin Technologies Private Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of AGM on the VC / OAVM (e-AGM):

- Members can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Members at the Meeting venue is not required.
- Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the member is not available.
- c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the e-AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.
 - The Members can join the e-AGM 15 minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 members will be able to join on a FIFO basis to the e-AGM.
 - There will no restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons



- संबंध में ई-एजीएम में फीफो के आधार पर प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
- ई-एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों (सदस्यों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी.
- एजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda पर अपलोड किया गया है. नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है. यह ई-वोटिंग एजेंसी मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (M/s KFin Technologies Private Limited) की वेबसाइट https://evoting.karvy.com/ पर भी उपलब्ध है.
- 5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-एजीएम से जुड़ने हेतु सदस्यों के लिए निर्देश:
- सदस्य को मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (KFin Technologies Private Limited) द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी. सदस्य इसे https://evoting.karvy.com/ पर दूरस्थ ईवोटिंग क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए ईएजीएम-वीडियो कॉन्फ्रेंस & स्ट्रीमिंग आइकॉन पर क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद, शेयरधारकों को संबंधित घटना विवरण और बैंक का नाम चुनना होगा. कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं.
- सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम /फायरफॉक्स के साथ लैपटॉप /स्मार्ट फोन के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
- साथ ही, ऐसे सदस्य जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन (ऑन रखने की अनुमति) रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा तािक बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके. सदस्य पहले भी उसी पोर्टल में स्पीकर रजिस्ट्रेशन के तहत उपलब्ध कराये गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं.
- कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े सदस्यों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/वीडियो में खराबी (बंद/रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फ़ाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें.
- सदस्य जो बैठक के दौरान अपने विचार रखना /प्रश्न पूछना चाहते हैं वे https://evoting.karvy.com/ पर लॉग-इन कर और "पोस्ट योर क्वेरी" पर क्विक कर उपलब्ध कराये गए विंडो में अपने प्रश्न /विचार /समस्या अपने नाम डीमैट खाता संख्या /फोलियो संख्या ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए पोस्ट कर सकते हैं.

- of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of the Members (members logins) attending the e-AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.
- The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia. com respectively. This is also available on the website of e-voting agency M/s KFin Technologies Private Limited at the website address https://evoting.karvy.com/

5. INSTRUCTIONS FOR THE MEMBERS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:

- Member will be provided with a facility to attend the e-AGM through video conferencing platform provided by KFin Technologies Private Limited. Members may access the same at https://evoting.karvy.com/by clicking the Icon of "eAGM-Video Conference & Streaming" by using the remote evoting credentials. Upon login, shareholders needs to select respective event details and name of the Bank. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.
- Members are encouraged to join the Meeting through Laptops/Smart phones with Google Chrome/Firefox for better experience.
- Further Members who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The members can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration"
- Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- Shareholders who would like to express their views/ ask questions during the meeting may log into https:// evoting.karvy.com/ and click on "Post your Queries" and post their queries/views/questions in the window provided by mentioning the name, demat account number/folio number, email id and mobile number.

3

- कृपया नोट करें कि समस्या /विचार/प्रश्नों का जवाब केवल तभी दिया जाएगा जब शेयरधारक के पास कट ऑफ की तारीख अर्थात् 23 जुलाई 2020 तक शेयर धारित हों. एजीएम क्वेश्नन विंडो 27 जुलाई 2020 सायं 5:00 बजे से 29 जुलाई 2020 तक एक्टिवेट रहेगा.
- वार्षिक सामान्य बैठक में बोलने और प्रश्न पूछने के इच्छुक सदस्यों को https://evoting.karvy.com/ पर लॉग-इन करना होगा और "स्पीकर रिजस्ट्रेशन" पर क्रिक कर अपने नाम डीमैट खाता संख्या /फोलियो संख्या ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए सबिमट करना होगा. स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगा जिसे ई-एजीएम में प्रश्न एवं उत्तर सत्र के दौरान रिकॉल करने के लिए रखा जाना चाहिए.
- ऐसे सदस्य जो विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं वे एजीएम की कार्रवाही का लाइव वेबकास्ट अपने रिमोट ई-वोटिंग विवरणों का उपयोग करते हुए केफिंटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट https://evoting.karvy.com/ पर लॉगिन कर देख सकते हैं.

6. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न संबद्ध नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.

बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन,1998, यथा संशोधित, के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रिजस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग दूरस्थ ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा.

दूरस्थ ई-वोटिंग तथा वार्षिक समान्य बैठक में वोट के लिए निर्दिष्ट तारीख - शेयरधारकों के रिजस्टर का बंद होना :

बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008, के विनियम 12, के साथ पठित (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) सेबी विनियमन, 2015 की विनियम संख्या 42 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारकों का रिजस्टर तथा शेयर अंतरण रिजस्टर शुक्रवार, 24 जुलाई 2020 से शुक्रवार, 31 जुलाई 2020 तक (दोनों दिन सिहत) 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा. तदनुसार वे शेयरधारक जिनके पास गुरूवार, 23 जुलाई, 2020 तक बैंक के शेयर हैं, वे दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा ई-एजीएम में वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा बैठक की कार्यसूची पर मत देने के लिए प्राधिकृत होंगे.

- Please note that, member's queries/views/questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date i.e., 23rd July 2020. The "AGM Questions" window shall be activated from 10.00 AM on 27th July 2020 till 5.00 PM on 29th July 2020.
- Members intending to speak and raise questions at the AGM, may log into https://evoting.karvy.com/ and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number/folio number, city, email id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.
- Members who are not able to join this Meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Kfintech at https://evoting.karvy. com/ using their remote e-voting credentials.

6. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the e-AGM) and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the e-AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

7. Cut-Off Date for remote e-voting and voting at the e-AGM - Closure of Register of Shareholders:

Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Friday, 24th July 2020 to Friday, 31st July 220 (both days inclusive) for the purpose of 24th Annual General Meeting. Accordingly, The shareholders holding Bank's Shares as on Thursday, 23rd July 2020 will be authorized to attend and vote for the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the e-AGM.



दूरस्थ ई-वोटिंग

सेबी के (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है. इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

- क. बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को दूरस्थ ई- वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है.
- ख. दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु पोर्टल मंगलवार, 28 जुलाई, 2020 को सुबह 9.00 बजे से गुरुवार, 30 जुलाई 2020 को शाम 5 बजे तक पूरा समय खुला रहेगा (दोनों दिन सहित).
- ग. दूरस्थ ई-वोटिंग वैकल्पिक है. इस निर्दिष्ट तारीख अर्थात गुरुवार, 23 जुलाई, 2020 को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

घ. दूरस्थ ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

- जो शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ़-डेट को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए 28 जुलाई 2020 को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें: https://evoting.karvy.com
- लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.
- उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्रिक करें.
- iv. आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से Z), एक ऑक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. यह दृढतापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.
- v. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.
- vi. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको EVEN अर्थात बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन करने हेतु निर्देश देगा. वोटिंग पृष्ठ पर, निर्दिष्ट तारीख 23 जुलाई 2020) पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. आप ASSENT अथवा DISSENT,

Remote E-Voting

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

- a) The Bank has appointed KFIn Technologies
 Private Limited as the remote e-voting agency
 to provide the e-voting platform.
- b) The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Tuesday, 28th July 2020 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Thursday, 30th July 2020 (both days inclusive).
- c) Remote e-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. Thursday, 23rd July 2020, may cast their vote electronically.
- d) The <u>instructions for remote e-voting</u> are as under:
 - The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date, to use the following URL for e-voting: https://evoting.karvy.com on opening of the same on 28th July 2020 at 9.00 a.m.
 - Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.
 - After entering the details appropriately, click on LOGIN.
 - You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
 - You need to login again with the new credentials.
 - vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda**. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (23rd July 2020) will appear.



जैसा भी मामला हो, पर क्लिक कर सकते हैं. पृष्टि करने हेतु OK पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु CANCEL पर क्लिक करें. एक बार पृष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.

- vii. एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगा. तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.
- viii. उपर्युक्त अनुरूप पोर्टल बंद हो जाएगा एवं बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.
- ix. बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रमणयन, या उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं. के किसी भी भागीदार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को दूरस्थ ई–वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.
- x. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र की स्केंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.
- xi. ऐसे शेयरधारक, जो 24वीं एजीएम के लिए नोटिस/संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के प्रेषण हेतु कट-ऑफ़-डेट एवं ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ़-डेट के बीच शेयर प्राप्त करते हैं तथा अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के साथ रिजस्टर करते हैं, उन्हें इस संबंध में आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी. ऐसे अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें.
- xii. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप https:// evoting.karvy.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्रा. लि. (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गाचीबावली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट,

You will have option to vote for all the Resolutions in one go at the TOP by click on ASSENT or DISSENT. Alternatively you may vote individually for each Resolution separately by clicking ASSSENT or DISSENT for each Resolution. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.

- vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.
- ix. The Bank has appointed M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
- x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net
- xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for 24th AGM / Annual Report 2019-20 and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.
- xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting. karvy.com. or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Kfin Technologies Pvt. Ltd, (Unit :





नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032 के उप महाप्रबंधक श्री एस वी राजू से ईमेल raju.sv@kfintech.com एवं दूरभाष संख्या 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

9. वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, दूरस्थ ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी. जो दूरस्थ ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को ई-एजीएम में आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे.

10. चुनाव का संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संदर्भ में बैठक के दौरान आयोजित होने वाली दूरस्थ ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग दोनों के लिए में संवीक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे.

11. रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान का परिणाम

ई – एजीएम में दूरस्थ ई – वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा दो दिनों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और केफिन टेक्नोलोजी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा.

12. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश

- क. लाभांश के भुगतान के लिए बैंक एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत बैंक खाते और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए विवरण का उपयोग करेगा. इलेक्ट्रानिक फार्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके बैंक विवरण संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन होने चाहिए जिससे कि बही बंदी के शुरू होने से पूर्व अद्यतन स्थिति प्राप्त की जा सके. बैंक या इसके रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट इलेक्ट्रानिक फार्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल सदस्यों के डिपॉजटरी सहभागी को ही सूचित किया जा सकता है.
- ख. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और औपचारिक अनुरोध पत्र के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्रा.लि. हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन को अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ ही रजिस्टर करना चाहिए, बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.
- ग. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र— व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail raju.sv@ kfintech.com at phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

9. VOTING PROCESS AT THE e-AGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the e-AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the e-AGM on the date of the meeting.

10. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of all the agenda items of the meeting.

11. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-voting and voting at the e-AGM will be announced within two days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Kfin Technologies Pvt. Ltd.

12. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

- a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.



13. फोलियो का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से भौतिक शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियों की सूचना दें तािक बैंक एक ही खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण- एक विशेष अन्रोध:

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमीशन अथवा ट्रांसपीजिशन को छोड़कर प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि 01.04.2019 से ऐसी प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिटरी के साथ अभौतिक रूप में नहीं रखी जाएं. अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने भौतिक शेयरों को तुरंत अभौतिक रूप में परिवर्तित करा लें.

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण करने अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क कर सकते हैं जहां उनका अपना डीमेट खाता है. अभौतिकीकरण के लाभ निम्नलिखित हैं: (i) बाधारिहत अंतरण (ii) शेयर प्रमाण पत्रों की गुमशुद्गी से बचाव (iii) लाभांश/ कॉर्पोरेट लाभों को सीधे व त्वरित जमा कराया जा सकता है (iv) नामांकन सुविधा (v) एएसबीए/ आईपीओ आदि के जरिए सीधा आवेदन.

पिछले वर्ष का दावा न किए गए/भुगतान न किए गए लाभांश, यदि कोई हो

शेयरधारक यह नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरुप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें.

"अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011–12 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2012–13 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण के लिए भविष्य की निर्दिष्ट तारीखों को नीचे दिया गया है.

13. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

14. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholder to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/IPO, etc.

15. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2011-12 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2012-13 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

2019-2020



| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | लाभांश –अंतरिम | त करने की निर्दिष्ट ता की अंतिम तारीख | करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक अंतिम तारीख | |
|-------------|--------------|-------------------|--|---|----------------------|
| | | / अंतिम | बैंक ऑफ़ बड़ौदा | पूर्ववर्ती विजया बैंक | पूर्ववर्ती देना बैंक |
| 1 | 2012-2013 | अंतिम | 29 जुलाई, 2020 | 02 अगस्त, 2020 | 02 अगस्त 2020 |
| 2 | 2013-2014 | अंतरिम | 14 फरवरी, 2021 | 5 मार्च, 2021 | 15 फरवरी, 2021 |
| 3 | 2013-2014 | अंतिम | 25 जुलाई , 2021 | 20 अगस्त, 2021 | 02 अगस्त, 2021 |
| 4 | 2014-2015 | अंतिम | 29 जुलाई, 2022 | 27 जुलाई, 2022 | 01 अगस्त, 2022 |
| 5 | 2015-2016 | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 6 | 2016-2017 | अंतिम | 06 अगस्त, 2024 | 29 जुलाई, 2024 | लागू नहीं |
| 7 | 2017-2018 | अंतिम | लागू नहीं | 4 अगस्त, 2025 | लागू नहीं |
| 8 | 2018-2019 | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012-13 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अथवा बैंक के निदेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

(यूनिट – बैंक ऑफ़ बड़ौदा)

कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली,

हैदराबाद – 500 032

फोन न. 040 6716 2222 एवं टोल फ्री: 1800 345 4001 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com

निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ बड़ौदा, 7 वां तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी–26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मंबई – 400051

ई मेल :- investorservices@bankofbaroda.com

16. सदस्यों से अनुरोध

कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की प्रतियां, जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजीटरी/आरटीए/बैंक के साथ पंजीकृत करवा रखी हैं उन्हें ई-मेल द्वारा सॉफ्ट कापी के रूप में भेज दी गई हैं. वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofbaroda.co.in पर भी उपलब्ध है.

17. ऐसे शेयरधारक जिनके ईमेल पते डिपोजीटरी के साथ या भौतिक फोलियो आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:

कोविड 19 महामारी के खतरे को देखते हुए और एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुपालन में बैंक ने शेयर धारकों के पंजीकृत ईमेल पते पर वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग को केवल इलेक्ट्रोनिक रूप में भेजा है. अतः ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से अपने ईमेल पते को पंजीकृत कर लें.

 ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ईमेल पते और पते एवं बैंक के विवरण सिंहत मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया /नहीं किया है वे ईलेक्ट्रोनिक फॉर्म में शेयर धारित होने पर डिपोजीटरी साझेदार से और भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें और अपने विवरणों को वैध /अद्यतन कराएं.

| Sr. No | Financial Year | Dividend -Interim / Final | Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank | | |
|-----------|-------------------|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | | | Bank of Baroda | eVijaya Bank | eDena bank |
| 1 | 2012-2013 | Final | 29 th July, 2020 | 02 nd August 2020 | 02 nd August 2020 |
| 2 | 2013-2014 | Interim | 14 th February, 2021 | 05 th March 2021 | 15 th February 2021 |
| 3 | 2013-2014 | Final | 25 th July, 2021 | 20th August 2021 | 02 nd August 2021 |
| 4 | 2014-2015 | Final | 29 th July, 2022 | 27 th July 2022 | 01st August 2022 |
| 5 | 2015-2016 | NIL | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| 6 | 2016-2017 | Final | 06 th August, 2024 | 29th July 2024 | Not Applicable |
| 7 | 2017-2018 | Final | Not Applicable | 04th August 2025 | Not Applicable |
| 8 | 2018-2019 | NIL | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2012-13 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address:

KFin Technologies Pvt. Ltd.

(Unit :- Bank of Baroda)

Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 Phone No. 040 6716 2222, Toll Free: 1800

E-mail :einward.ris@kfintech.com,

Investors' Services Department

Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051.

E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

16. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Please note that copies of the Annual Report- 2019-20 has been sent in soft copy by emails to those Shareholders who have registered their email ids with the respective Depository/ RTA/Bank. The Annual Report is also hosted on the Bank's website i.e. "www.bankofbaroda.in"

17. PROCEDURE FOR OBTAINING THE ANNUAL REPORT, E-AGM NOTICE AND E-VOTING INSTRUCTIONS BY THE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES OR WITH RTA ON PHYSICAL FOLIOS:

On account of threat posed by COVID-19 and in terms of the MCA and SEBI Circulars, the Bank has sent the Annual Report, Notice of e-AGM and e-Voting instructions only in electronic form to the registered email addresses of the shareholders. Therefore, those shareholders who have not yet registered their email addresses are requested to get their email addresses registered by following the procedure given below:

 Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile nos including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Bank's Registrar and

3

- शेयर धारक जिन्होंने अपने ईमेल पते को पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, ई एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग की नोटिस प्राप्त नहीं कर सके हैं ऐसे शेयर धारक अस्थायी रूप से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराकर इस लिंक https://karisma.kfintech.com/emailreg पर क्लिक कर इसे प्राप्त कर सकते हैं. शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि ईमेल पते और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें तािक वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग सबंधी अनुदोशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ यूजर आईडी और पासवर्ड को भेजा जा सके.
- शेयर धारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और ई-एजीएम की नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in या रिजस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट को विजिट करें.
- वैकल्पिक रूप से सदस्य वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामलें में ईमेल पते, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति, क्लाईंट मास्टर प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति को ईमेल अनुरोध के माध्यम से einward.ris@kfintech.com पर भेज सकते हैं.

विशेष ध्यानकर्षण हेतु अनुरोध

भारत सरकार द्वारा आंरभ की गई हिरत पहल को सफल बनाने हेतु उन सभी शेयरधारकों, जिन्होंने संबंधित डिपोजीटरी /आरटीए/बैंक के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाया है, से अनुरोध है कि ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य पत्र प्राप्त करने हेतु इस नोटिस में उल्लिखित पैरा 15 के अंतर्गत दिए गए पते/ ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजकर/लिखित रूप में अनुरोध कर संबंधित डिपोजीटरी में अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं.

- Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited in case the shares held in physical form.
- Shareholders who have not registered their mail address and in consequence the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting notice could not be serviced. Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, by clicking the link: https://karisma.kfintech.com/emailreg for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@ kfintech.com.
- Shareholders are also requested to visit the website of the Bank at www.bankofbaroda.in or the website of the Registrar and Transfer Agent for downloading the Annual Report and Notice of the e-AGM.
- Alternatively member may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual Report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

SPECIAL ATTENTION REQUESTED:

In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their email IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending emails/ request in writing to the RTA/Bank at the address/email ID stated at para no. 15 in this Notice in order to receive Annual Report and other communications over mail.



व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 2 - पूंजी आयोजन 2019-20

बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय / लिए जा सकने वाले निर्णय के अनुसार व्यवसाय आस्तियों में विस्तार करने के लिए बेसल ॥ के दिशानिर्देशों के अंतर्गत न्यूनतम पूँजी एवं लीवरेज अनुपात की आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 और अद्यतन संशोधनों तथा इस संबंध में सेबी/भा.रि.बैं. के अन्य लागू विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन(क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ)/ अधिकार निर्गम/ एडीआर-जीडीआर/ इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे विविध प्रणालियों और अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण के जिए फंड जुटाने का प्रस्ताव करता है. क्यूआईपी के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी करने के ऐसे मामले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप होने चाहिए.

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उपयुक्त समय, प्रक्रिया, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित है.

विशेष संकल्प के अनुसार में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे. आपके निदेशकगण, इस सूचना में उल्लिखित विशेष संकल्पों की सिफारिश करते हैं.

किसी भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को उपर्युक्त संकल्प हेतु हितबद्ध नहीं समझा जाएगा.

निदेशक मण्डल प्रस्तावित विशेष संकल्प को पास करने की सिफ़ारिश करता है.

> निदेशक मण्डल के आदेश से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए

> > of 15 - 45, 4.

संजीव चड्ढा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई दिनांक 23 जून 2020

EXPLANATORY STATEMENT

Item Number 2 - Capital Plan 2020-21

In order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the BASEL- III guidelines for expansion of business assets, as decided / may be decided by the Board, the Bank proposes to raise common equity by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws. Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in the Notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives are interested or concerned in the aforementioned Resolution(s).

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

By Order of the Board of Directors For BANK OF BARODA

(an

Sanjiv Chadha Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 23rd June 2020